न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	प्रार्थनापत्र निर्णय दिनांक
141/2022	25.07.2022	20.09.2022

//उनवान//

शैलेन्द्र सिंह बनाम प्रितमसिंह व अन्य

प्रार्थनापत्रः– आदेश–7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः– 1 श्री सतवीर चौधरी वकील प्रार्थी/प्रतिवादी
2 श्री राजेन्द्र प्रशाद यादव वकील अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 20.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश प्रार्थनापत्र आदेश–7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 प्रितमसिंह के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 645/0.14, 817/0.71 है0 वाके ग्राम खरेटा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर किसी प्रकार से विवादित नहीं है तथा उक्त आराजियात मिन प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी ने बेजा रूप से मुझ प्रार्थी/प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों व शपथपत्र के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है कां अंकन करते हुये उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर दावा खारिज फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थनापत्र की नकल वकील वादी/अप्रार्थी को दी गई। जरिये अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि सही तथ्यों व शपथपत्र के आधार पर एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा पेश किया गया है जबकि प्रार्थी प्रितम सिंह का न तो कभी कब्जा रहा है न हीं आज दिन कब्जा है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। वादी ने कानूनी तौर पर एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया है जो कानूनन तनकीयात कायम होने के बाद ही निस्तारित किया जा सकता है। आदेश–7 नियम 11 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे दावा खारिज किया जा सके क्योंकि दावा अदालत श्रीमान क्षेत्राधिकार में तथा बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होने के बाद ही किया है। दावा कानूनन वर्जित नहीं है एवं दावा एडवर्स पजेशन सुनने योग्य श्रीमान अदालत है अंकित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:47:20 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस [illegible] ने अपने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी [illegible] दस्तावेजात के साथ सनद पट्टा क्रमांक 396 दिनांक 28.07.21, मौका [illegible] दिनांक 20.07.22 एवं नकल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2078 चौसाला 2077–73 प्रस्तुत किया जाना तथा मुताबिक उक्त दस्तावेजात के प्रितम सिंह पुत्र नादरसिंह जाति रायसिख [illegible] खरेटा तह0 मुण्डावर के नाम उपखण्ड अधिकारी महोदय मुण्डावर नियमानुसार निर्धारित फीस जमा राजकोष जमा कराये जाने उपरांत जरिये क्रमांक 396 दिनांक 28.07.21 जारी किया गया है उक्त सनद की पुस्त पर सोना सिंह पुत्र चंपा सिंह वगैरह सा0देह के नाम को हजफ कर आवेदक प्रितम सिंह के नाम दर्ज कर नियमन की गई भूमि की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अंकन है साथ ही मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 20.07.22 के अनुसार भी आराजी ख0नं0 645, 817 का सीमाज्ञान प्रितम सिंह पुत्र नादरसिंह को

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

कराकर चारों कोने कायम किये गये एवं सीमांकन से प्रार्थी संतुष्ट हुआ के बाबत का अंकन है उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर से जारीशुदा है तथा उक्तानुसार सनद पट्टा एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.07.22 की पुष्टि भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 चौसाला 2070–73 की छायाप्रति से स्पष्ट साबित होती है जिसके मुताबिक उक्तानुसार विवादित आराजियात हिस्सा संपूर्ण प्रार्थी/प्रतिवादी प्रितम सिंह पुत्र नादरसिंह जाति रायसिख सा0देह खातेदार के नाम से हो रहे अंकन से साबित है का अभिकथन करते हुये वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाई जाकर वाद–वादी खारिज किये जाने का अभिकथन किया। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया जाना, प्रार्थी/प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा होना ना ही आज दिन कब्जा होना । दावा में तनकीयात किया जाकर मैरिट पर निस्तारित किया जाना तथा आदेश–7 नियम 11 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना कि इस सूरत में दावा खारिज किया जा सके। अभिकथन करते हुये दावा अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होने कि सूरत पर प्रस्तुत किया गया दावा कानूनन वर्जित नहीं होना अभिकथन करते हुये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चे खारिज किये जाने का अभिकथन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक उपरोक्तानुसार बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी प्रस्तुत दस्तावेजात यथा छायाप्रति सनद पट्टा दिनांक 28.07.21, छायाप्रति मौका रिपोर्ट 20.07.22 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078 चौसाला 2070–2073 के अवलोकन उपरांत जिनके मुताबिक प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम से सनद जारी होना तथा मौका रिपोर्टानुसार सीमाज्ञान कराया जाना एवं सनद के बाबत जारी निर्देशानुसार जमाबन्दी सम्वत् 2078 चौसाला 2070–2073 में प्रितम सिंह पुत्र नादरसिंह हिस्स पूर्ण–रायसिख सा0देह खातेदार के नाम से हो रहे अंकन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के बाबत कोई वाद कारण पैदा नहीं होना पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश–7 नियम 11 धारा 151 जा0दी0 को स्वीकारयोग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश–7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकारयोग्य पाये जाने की स्थिति स्वीकार की जाती है फलतः वादी द्वारा हाल [illegible] 14 है0 वाके ग्राम खरैटा तह0 मुण्डावर के बाबात के हु0ई0 दवामी के [illegible] ग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:47:20 IST
Reason: SelfAttested

20.09.2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०